स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462003

क्रमांक 292/250/2013/20-1 भोपाल, दिनांक 18/2/2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त आयुक्त नगर निगम,
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
6. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत,

मध्यप्रदेश।

विषयः– **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही के संबंध में।**

—0—

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–43/2012/20–1 दिनांक 29.08.2012 द्वारा प्राथमिक शालाओं के लिए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के 49859 रिक्त पद जिलेवार जारी किये गये है। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश विभाग के आदेश क्रमांक एफ 01–01/2012/20–1 दिनांक 27.03.2012 तथा आदर्श विज्ञापन का प्रारूप क्रमांक एफ 1–49/2011/20–1 दिनांक 10.01.2012 को जारी किया गया है। उक्त सभी आदेश www.educationportal.nic.in पर उपलब्ध है। श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध जिलों द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए विज्ञापन के आधार पर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही आपके स्तर से समय–सीमा में की जाना अपेक्षित है :–

1. ***ऑनलाईन नियुक्तकर्ता अधिकारी का चयन :-***

संचालनालय द्वारा स्थानीय निकायों की ओर से बनाये गये विज्ञापन को वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। प्रदेश का एकजाई विज्ञापन जारी होने के उपरांत प्रथम चरण में पात्रता परीक्षा 2012 में अर्हताधारी केवल प्रशिक्षित (नियम 2005 की अनुसूची–दो में निर्धारित योग्यता राजपत्र दिनांक 27.06.2011 अनुसार) अभ्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.03.2012 की कंडिका–6 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में जिलास्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 01.03.2013 से 07.03.2013 तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर करवायेगें एवं सत्यापन पंजीयन क्रमांक प्राप्त करेगें। इसके उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि दिनांक 01.03.2013 को अपरान्ह 03:00 बजे से 08.03.2013 को रात्रि 11:50 बजे तक एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क सेंटर में नियुक्तकर्ता अधिकारी का ऑनलाईन चयन करेगें, जिसके अधीन वह नियुक्त होना चाहता है। अभ्यर्थी को एक से अधिक, जितना वह चाहें नियुक्तकर्ता अधिकारी को चयन करने की स्वतंत्रता रहेगी। इस कार्य हेतु अभ्यर्थियों को ₹ 85 का भुगतान कियोस्क सेंटर को करना होगा, जिसकी पावती कियोस्क सेंटर द्वारा उसे प्रदान की जायेगी।

2. ***मेरिट सूची का ऑनलाईन प्रदर्शन :-***

एम.पी. ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थियों से नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विकल्प को प्राप्त करने के उपरांत नियुक्तकर्तावार, आरक्षणवार मेरिट के क्रम में चयन सूची दिनांक 20.03.2013 को अपरान्ह 04:00 बजे जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ नियुक्तकर्ता अधिकारी को अपनी उपस्थिति देगा। नियुक्तकर्ता अधिकारी अभ्यर्थी के योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख से पुनः सत्यापन करेगा एवं अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी करेगा। जिसकी सूचना पृथक से जारी की जाएगी।

3. ***समय-सारणी :-***

उक्त उल्लेखित प्रक्रियाएं एक निश्चित समयावधि में पूरे प्रदेश में एक साथ संपन्न की जाना है। विभिन्न गतिविधियों को संपादित करने की समय सारणी निम्नलिखित अनुसार है:—

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के भर्ती प्रक्रिया हेतु समय-सारणी

क्रं.	प्रस्तावित कार्यवाही	सक्षम अधिकारी	निर्धारित तिथि
1	2	3	4
1	पूर्व से निकायों द्वारा तैयार विज्ञापन में यदि रिक्तियां परिवर्तित हुई है तो संशोधन की ऑन लाईन प्रविष्टि।	जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जिला कलेक्टर के समन्वय में	21.02.2013 से 23.02.2013 अपरान्ह 5:30 बजे तक
2	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु संक्षिप्त विज्ञापन का प्रकाशन एवं पोर्टल पर रखना	आयुक्त लोक शिक्षण	22.02.2013
3	प्रदेश का समेकित विज्ञापन तैयार करना एवं पोर्टल पर अपलोड करना।	एम.पी. ऑनलाईन	26.02.2013
4	जिला मुख्यालय पर निर्धारित सत्यापन केन्द्र में पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन पंजीयन क्रमांक जारी करना।	जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जिला कलेक्टर के समन्वय में	01.03.2013 से 07.03.2013 तक कार्यालयीन समय में
5	अभ्यर्थी द्वारा एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क/एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से। नियुक्तकर्ता अधिकारी का चयन	एम.पी. ऑनलाईन	01.03.2013 को अपरान्ह 03:00 बजे से 08.03. 2013 को रात्रि 11:50 बजे तक
6	पोर्टल पर मेरिट चयन सूची को उपलब्ध कराना।	एम.पी. ऑनलाईन	20.03.2013 को अपरान्ह 4.00 बजे

4. ***प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया, अभिलेखों के परीक्षण की चेक लिस्ट तथा सत्यापन प्रक्रिया का डेमों*** - जिला स्तर पर अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया परिशिष्ट–01, अभिलेखों के परीक्षण की चेक लिस्ट परिशिष्ट–02 तथा सत्यापन प्रक्रिया का डेमो परिशिष्ट–03 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार की जाए।

संलग्न–परिशिष्ट–1, 2 एवं 3

18/02/13

(एल. एल. राजौरिया)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां. कमांक 293/250/2013/20-1 भोपाल, दिनांक 18/2/2013

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0।
10. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
11. सी.ओ.ओ. एम.पी. ऑनलाईन, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होंशगाबाद रोड़, भोपाल (मध्यप्रदेश)

18/02/13

अवर सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

Desktop/E.E.2010/Eligibility.doc

परिशिष्ट –1

प्रमाण पत्र सत्यापन प्रकिया

सत्यापन केन्द्र पर बाहर बोर्ड पर निम्नानुसार सूचना अंकित करें–
सिर्फ डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही सत्यापन केन्द्र में प्रवेश करें।

- अभ्यर्थी पंजीयन टेबल पर अपने रोल नंबर के साथ पहुँचे ।
- सत्यापन टेबल पर जाने से पूर्व अपने प्रमाणपत्र निम्नलिखित कम में जमा लें –
  1. डी.एड. प्रशिक्षित होने का प्रमाणपत्र
  2. 10 वीं की अंक सूची
  3. यदि अनुसूचित जाति जनजाति / पिछडा वर्ग से हैं तो जाति प्रमाणपत्र
  4. मूल निवासी प्रमाणपत्र– (नोट – अनुसूचित जाति /जनजाति / पिछडा वर्ग से हैं तो म.प्र. मूल निवासी का प्रमाण पत्र होने अथवा जाति प्रमाणपत्र में संबंधित के म.प्र. निवासी होने की जानकारी के आधार पर उसे आरक्षणं का लाभ मिलेगा)
  5. भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के होने पर उसका प्रमाणपत्र
  6. विकलांग होने पर उसका प्रमाणपत्र
  7. कक्षा 12 की अंकसूची

उक्त समस्त प्रमाणपत्र की मूल प्रति एवं एक सेट फोटोकॉपी के साथ सत्यापन अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु उपस्थित हों।

स.क्र.	प्रक्रिया (प्रोसेस)
1	प्रमाण पत्र सत्यापन केन्द्र पर अभ्यार्थी का आगमन ।
2	अभ्यर्थी द्वारा पात्रता परीक्षा का रोल नंबर पंजीयन प्रभारी को प्रस्तुत करना ।
3	पंजीयन प्रभारी द्वारा अभ्यार्थी का पंजीयन रजिस्टर में सरल क्रमांक, नाम एवं रोल नंबर अंकित करना एवं हस्ताक्षर करवाना
4	पंजीयन प्रभारी द्वारा अभ्यार्थी के पंजीयन का सरल क्रमांक अभ्यार्थी के शैक्षणिक योग्यता फार्म पर अंकित करना ।
5	अभ्यर्थी का सरल क्रमांक का उदबोधन किया जाना । अभ्यार्थी को एक टोकन नंबर जारी करना
6	अभ्यर्थी को स्टाफ द्वारा अपेक्षाकृत कम भीड वाले सत्यापन अधिकारी के पास भेजा जाना
7	सत्यापन अधिकारी द्वारा अभ्यार्थी के प्रमाण पत्रों का उपलब्ध चेक लिस्ट से सत्यापन किया जाना ।
8	चेकलिस्ट से प्रमाणपत्र सत्यापित हो जाने पर सत्यापन अधिकारी द्वारा अपने समक्ष डेटा एंट्री आप्रेटर से एम.पी. आनलाईन की वेबसाइट पर संबंधित अभ्यार्थी के सत्यापन रिकार्ड की प्रविष्टि की जाना ।
9	सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन रिकार्ड का मिलान कर mponline से प्रिंट की हुई पर्ची पर हस्ताक्षर कर एक प्रति अभ्यार्थी को उपलब्ध कराना।
10	सत्यापन अधिकारी द्वारा एक पर्ची को रेकार्ड में रखना (**प्रमाणपत्रों की एक प्रति के साथ**)
11	अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन रजिस्टर में अपना स.क्र. नाम, रोल नंबर के समक्ष reference no. अथवा अपात्र अंकित करवा कर हस्ताक्षर करना

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के नियोजन के लिए प्रमाण पत्र, अभिलेखों का परीक्षण

चेक लिस्ट/पावती

(दो प्रतियों में तैयार किया जाए)

क्र.	विवरण	अभ्यर्थी द्वारा पूर्ति की जाए		
1	पात्रता परीक्षा का रोल नंबर			
2	मोबाईल नं.			
3	प्रशिक्षण योग्यता का विवरण– वर्ष 2011 की स्थिति में			
	प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी.एड़/विनियम 2002 के अनुसार डी.एड./बी.एल.एड./विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा)	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	
4	उ.मा.वि. प्रमाण पत्र का विवरण			
	बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

5	जन्मतिथि (कक्षा 10वीं की अंकसूची के आधार पर) प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	
6	संवर्ग– अनु.जाति/जनजाति/अन्य. पिछड़ा वर्ग की स्थिति में स्थाई जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न है अथवा नहीं	
7	क्या संवर्ग के मान से आवेदक की आयु विहित आयु सीमा के अंदर है अथवा नहीं?	
8	आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की स्थिति में प्रमाण पत्र में मूल निवासी म.प्र. का लिखा होना अनिवार्य है अन्यथा उसे म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष अन्य अभ्यर्थी के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	
9	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में– प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	
10	निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं? निःशक्त होने की स्थिति में– अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित (दृष्टि बाधित में केवल लोविजन मान्य होगा ब्लाइंड नहीं)	

टीपः– केवल जन्मतिथि, जाति, निःशक्तता तथा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता में सुधार मूल प्रमाण पत्र के परीक्षण उपरांत किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक एवं पूरा पता	परीक्षणकर्ता अधिकारी नाम, पदनाम, संस्था का नाम	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नाम, पदनाम, संस्था का

Online सत्यापन प्रक्रिया का Demo

- यह साइट Internet Explorer पर ही खोलें । इसके माध्यम से आप 19.02.2013 से 28.02.2013 तक अभ्यास करके देख सकते है।
- Url टाइप करे– http://demo.mponline.gov.in/portal/index.aspx टाइप करें
- Login पर जाएं
- Login पर click करने पर G2G दिखेगा
- G2G पर click करें ।
- User Id: samvidahc एवं Password: help123 रहेगा।
- User Id एवं Password डालने पर दो चीजें दिखेंगी –
    - Document Verification
    - Reprint Eligibility Slip
- Document Verification पर click करें ।
- Roll No मांगेगा । 100 से 300 के बीच का कोई भी Roll No. डालें
- संबंधित अभ्यर्थी की पूरी जानकारी सामने आएगी ।
- यदि आवेदक जानकारी में संशोधन चाहता है तो जन्मतिथि, वर्ग, विकलांगता संबंधी तथा डी.एड. की जानकारी Edit की जा सकती है।
- यदि आवेदक जानकारी में कोई बदलाव नहीं चाहता है तो नाम चेक कर सबसे पहले शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता की मार्कशीट देखें । यदि मार्कशीट है तो Yes पर click करें । यदि मार्कशीट नहीं है तो No पर click करें । No पर click करते ही यह जानकारी सामने आएगी।

डी.एड प्रशिक्षित न होने से इस चरण की प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले सकते ।

- Print पर click करें । इसकी दो प्रतियाँ सीधे Print होगी एक पर हस्ताक्षर कर संबंधित को दें । दूसरी अपने रिकार्ड में लगा लें ।
- Yes पर click करने के बाद निम्नानुसार जानकारी भी मांगी जाएगी ।
    - फॉर्म में अंकित जन्मतिथि को चेक करें क्या यह वही है जो संबंधित की 10 वीं की अकसूची में लिखी हुई है। यदि match करती है तो हॉं पर click करें अन्यथा No पर click करें
    - जन्मतिथि सही न होने पर No पर click करने वर निम्नानुसार जानकारी सामने आएगी ।

जन्म दिनांक सही न होने से आप प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते

- इसकी दो प्रति प्रिंट होगी उसमें से एक पर हस्ताक्षर कर अभ्यर्थी को दें । दूसरी अपने रेकार्ड मे रखें
- जन्मतिथि सही होने पर हॉं पर click करें
- यदि SC/ST/OBC श्रेणी में हैं तो जाति प्रमाण पत्र देखें। यदि जाति प्रमाणपत्र है तो हॉं पर click करें । यदि नहीं है तो नहीं पर click करें ।

- जाति प्रमाणपत्र होने पर यह देखे कि वह म.प्र. का मूल निवासी है या नहीं । होने पर हॉ पर क्लिक करें अन्यथा नहीं पर क्लिक करें।
- भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का प्रमाण पत्र होने पर हॉ न होने पर नहीं पर क्लिक करें ।
- विकलांग होने का प्रमाण पत्र होने पर हॉ अन्यथा नहीं पर click करें । यदि आवेदक विकलांग है तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो विकलांगता का प्रकार आवश्यक रूप से सिलेक्ट करें।
- कक्षा 12 वीं की परीक्षा की अंकसूची के आधार पर निम्नानुसार जानकारी भरें ।
  - बोर्ड का नाम
  - पास करने का वर्ष
  - प्राप्तांक
  - पूर्णांक
- इस आधार पर प्रतिशत अपने आप आ जाएगा । यदि अंक 45% से कम अंक है तो वह अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा तथा निम्नानुसार जानकारी सामने आएगी ।

हायर सेकेण्ड्री परीक्षा में निर्धारित, न्यूनतम अंक न होने से अपात्र

- इसकी दो प्रति प्रिंट होगी निर्देशानुसार एक प्रति रेकार्ड मे एवं एक प्रति संबंधित को प्रदान करें।
- यदि 45% से अधिक अंक है तो आगे की जानकारी डी.एड. प्रशिक्षण का वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नाम डालें ।
- डाटा इन्ट्री आपरेटर अपना नाम डालें तथा सत्यापन अधिकारी का नाम प्रविष्ट करें।
- संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद Proceed पर click करें ।
- सत्यापन की रसीद दो प्रतियों में उपलब्ध होगी। एक प्रति रेकार्ड में लगाएं एवं एक प्रति संबंधित को दें ।
- संबंधित अभ्यर्थी को पंजीयन रजिस्टर में अपने नाम के समक्ष Reference No. लिखने को कहें या अपात्र होने पर अपात्र लिखवाकर हस्ताक्षर करवानें के बाद जाने के लिए कहें ।